बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–02/शमन–03/2016 परि०

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान करने के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–10.03.2017 को आयोजित बैठक के आलोक में गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2932 दिनांक–10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उसमे दिये गये शर्तो के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलो में पदस्थापित थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की **धारा–200 के संगत प्रावधान के अंतर्गत धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के तहत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारीयों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।** शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम **नहीं होगी।**

क्र०सं०	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र
3.	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र
4.	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5.	ओ0पी0 प्रभारी	सम्पूर्ण ओ0पी0 क्षेत्र

2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में **विभागीय पत्रांक–546 दिनांक–01.02.2016 प्रभावी होगा।**

3. सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत् जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियो को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय **जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था**, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया **जाए।**

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. शक्ति प्रदत पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमे वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय।

8. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणाधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

9. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक–2932 दिनांक–10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E-Mail

ज्ञापांक–02/शमन–03/2016 परि० 2396 पटना, दिनांक– 28/4/17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार /सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार /शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रर्वत्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।